भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 33
दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज

33. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 'यात्रा' के माध्यम से नामांकित लाभार्थियों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के दीर्घकालिक उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 'यात्रा' अभियान किस तरह से यह सुनिश्चित कर रहा है कि आयुष्मान भारत के बारे में जानकारी आंध्र प्रदेश, के विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों में सीमांत समुदायों और वंचित आबादी तक पहुंचे;

(ग) क्या इन दूर-दराज के और सीमांत समुदायों के भीतर विद्यमान सूचना-अंतर को पाटने और आयुष्मान भारत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई कोई अनुरूप आउटरीच रणनीतियां/पहल मौजूद हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15.11.2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) शुरू की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच सरकार की विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पात्र जनसंख्या को योजना के लाभ प्रदान करना और विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बनाना है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाई) को वीबीएसवाई के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) की फ्लैगशिप योजना के रूप में चुना गया है। इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड तैयार करना यात्रा के दौरान दी जाने वाली ऑन-स्पॉट सेवाओं में से एक है। वीबीएसवाई वैन ने एबी-पीएमजेएवाई से संबंधित आईईसी सामग्री का प्रदर्शन किया। इस यात्रा के दौरान, लाभार्थियों ने योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के अपने अनुभव साझा किए, जो योजना के बारे में जागरूकता फैलातें हैं और अन्य लाभार्थियों को योजना के तहत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अभियान के दौरान, दिनांक 30.01.2024 की स्थिति अनुसार, देश भर में आयुष्मान कार्ड निर्मित करने के लिए लगभग 2.78 करोड़ सत्यापन किए जा चुके हैं। जिसमें से लगभग 3.52 लाख आयुष्मान कार्ड अभियान के दौरान बनाए जा चुके हैं। यह यात्रा आंध्र प्रदेश के सभी जिलों से होकर गुजरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एबी-पीएमजेएवाई से संबंधित सूचना पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। इसके अलावा, इन सभी जिलों में, आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, पात्र लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ऐसे कदमों का ब्यौरा निमन्वत है:

- इस स्कीम के अंतर्गत जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों को उनकी हकदारियों और अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया एवं आउटरीच कार्यनीति अपनाई गई है। इसमें मीडिया वाहनों जैसे आउटडोर मीडिया, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर डिजिटल प्रदर्शन, प्रमुख बस स्टेशनों पर घोषणाएं, यात्री ट्रेन ब्रांडिंग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस कवरेज, प्रिंट मीडिया में ऑप-एड और विज्ञापन, रेडियो अभियान, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थी अनुभवों का प्रसारण, एसएमएस, पारंपरिक मीडिया आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर संदेश भेजना शामिल है।

- लाभार्थी सहभागिता के लिए आशा कार्मिकों, पंचायती राज के अंतर्गत फ्रंट लाईन कार्मिकों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को सहयोग प्रदान करना, कार्ड सृजन के लिए ई-केवाईसी और आईईसी संबंधी कार्यकलापों किए जाते हैं। एसे क्रियाकलापों को सुविधा प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर के कार्मिकों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

- इस योजना के तहत सत्यापित लाभार्थियों को सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में पीवीसी आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। इससे लाभार्थियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में वृद्धि हुई है।

योजना के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं कि योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे जिसमें आपके द्वार आयुष्मान, आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान कार्ड संतृप्ति के लिए आयुष्मान ऐप लॉन्च करना शामिल है। आयुष्मान ऐप में लाभार्थियों के लिए स्व-सत्यापन सुविधा है।

दिनांक 29.01.2024 तक की स्थिति के अनुसार, 30.76 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 6.27 करोड़ से अधिक का सत्यापन आयुष्मान भव अभियान के दौरान किया जा चुका है।

*****